

## गोबर/बायो गैस

### 1. कार्यक्रम का उद्देश्य:—

बिहार राज्य में गोबर आधारित गोबर/बायोगैस का महत्व अत्यधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में जलावन के लिए गोबर का प्रयोग उपला/गोइठा के रूप में किया जाता है, वहाँ उर्जा हेतु गोबर का सर्वप्रथम उपयोग बायो-गैस के रूप में तथा प्राप्त स्लरी का उपयोग वर्मी कम्पोस्ट से उर्वरक प्राप्त करने हेतु किया जाए तो यह निश्चित तौर पर उर्जा के साथ-साथ उर्वरक प्राप्त करने का समन्वय स्थापित करता है। गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों में बायो गैस अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उत्पादन में घरेलू एवं खेती के अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक विशिष्ट संयंत्र में डालकर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा बायोगैस उत्पादित किया जाता है। इस विधि से उत्पादित गैस में मूलतः मिथेन, जो एक ज्वलनशील गैस है, प्राप्त होती है और इसका उपयोग आसानी से गृह कार्यों यथा खाना बनाने, रौशनी की व्यवस्था करने तथा इसके अतिरिक्त कृषियोगी संयंत्रों के संचालन में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अवशेष के रूप में स्लरी की प्राप्ति होती है, जिससे 25–30 दिन में वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा सकता है। दो घनमीटर के बायो-गैस संयंत्र से माह में करीब 1.5 से 2 LPG सिलेन्डर के बराबर गैस प्राप्त होता है।

1. गोबर/बायोगैस इकाई के लिए अनुदान का लाभ वैसे किसानों को देय होगा जो खेती कर रहे हैं एवं जिनके पास 4–5 पशुधन है। एक किसान गोबर/बायोगैस इकाई हेतु अधिकतम 01 इकाई के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
2. गोबर/बायोगैस इकाई के स्थापना के लिए दीनबन्धु मॉडल अपनाया जाता है इसके लिए कम-से-कम 10'X12' निजी जमीन उपलब्ध हो।
3. गोबर/बायोगैस निर्माण पर कुल लागत मूल्य 42,000 ₹ का 50 प्रतिशत या अधिकतम 21,000 ₹/इकाई दोनों में से जो कम हो, अनुदान राशि देय है एवं 1500 ₹ (टर्न-की राशि), कुल 22,500 ₹ देय है जिसकी विवरणी इस प्रकार है—

| मॉडल     | क्षमता    | अनुमानित लागत मूल्य<br>(रूपये में) | अनुदान भुगतान प्रति इकाई<br>(रूपये में)                                                             |
|----------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दीनबन्धु | 02 घनमीटर | 42000.00                           | लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या 21000<br>(दोनों में से जो कम हो) + 1500<br>(टर्न-की राशि), कुल 22500.00 |

4. प्रत्येक गोबर/बायोगैस संयंत्र पर साईन बोर्ड (3'x4') लगाना अनिवार्य है जिसमें निम्नलिखित विवरणी दर्ज की जानी है:—

## **कृषि विभाग, बिहार सरकार**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| योजना का नाम    | —               |
| लाभार्थी का नाम | —               |
| ग्राम           | —               |
| संयंत्र         | — बायो/गोबर गैस |
| प्राक्कलन राशि  | —               |
| वित्तीय वर्ष    | —               |

5. गोबर/बायोगैस संयंत्र का नक्शा एवं प्राक्कलन अनुसूची-06 एवं अनुसूची-07 क्रमशः पर संलग्न है।
6. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से गोबर/बायोगैस का उत्पादन **आगामी 05 वर्षों** तक करना अनिवार्य होगा। किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र अनुसूची-01 में संलग्न है।
7. जिन कृषकों को गोबर/बायो गैस संयंत्र की स्थापना हेतु विगत पाँच वर्षों में किसी भी योजना (के0वी0आई0सी0, एम0एन0आर0ई0 इत्यादि) से लाभ मिल चुका है वैसे किसानों को गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु पुनः अनुदान का लाभ नहीं दिया जाएगा।

### **8. आवेदन की विधि:-**

- (क) योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा **ऑन-लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि-31.10.2023 निर्धारित है।**
- (ख) योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा।
- (ग) इच्छुक किसान ऑन-लाईन आवेदन पत्र देंगे। इच्छुक किसान गोबर/बायोगैस संयंत्र स्थापना करने के लिए ऑन-लाईन विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ स्व-अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/जमीन का रसीद/जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करेंगे।
- (घ) किसान, कृषि विभाग के वेबसाइट **dbtagriculture.bihar.gov.in** पर उपलब्ध “अनुदान के लिए आवेदन” मेनू पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि “गोबर/बायोगैस इकाई अनुदान” का चयन करेंगे।
- (घ) किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर/वसुधा केन्द्र से ऑन-लाईन गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान आवेदन के लिए सम्पर्क कर सकते हैं अथवा स्वयं अपने मोबाईल/लैपटॉप से गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान के लिए ऑन-लाईन आवेदन कर सकते हैं।

### **9. लक्ष्य का निर्धारण-**

जिला कृषि पदाधिकारी जिलान्तर्गत स्वीकृत लक्ष्य को सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में क्रमशः **80.15605%, 18.58536% एवं 1.25859%** के अनुपात में लक्ष्य का विखंडन कर जिला के लिए लक्ष्य का निर्धारण करेंगे।

## 10. आवेदन पत्र की जाँच एवं स्वीकृति की प्रक्रिया—

किसान द्वारा समर्पित ऑन-लाईन आवेदन का निष्पादन का कार्य संबंधित कृषि समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन के निष्पादन के पूर्व इस योजना के तहत निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन होने की बात से संतुष्ट होते हुए अग्रसारित की कार्रवाई करेंगे।

आवेदन के निष्पादन के क्रम में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है:—

- (क) किसानों द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑन-लाईन आवेदन एवं शपथ-पत्र अनुसूची-1 (किसान का हस्ताक्षर सहित) अपलोड करने के उपरान्त आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा।
- (ख) कृषि समन्वयक जाँच अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं की प्रक्रिया App के माध्यम से करेंगे—

- अनुसूची-02 (हस्ताक्षर सहित) ऑन-लाईन अपलोड करना।
- गोबर/बायोगैस इकाई निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना।

जाँच के क्रम में यह देखना आवश्यक होगा कि गोबर/बायोगैस इकाई के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, पशु एवं गोबर आदि उपलब्ध है अथवा नहीं।

- (घ) कृषि समन्वयक अधिकतम 10 (दस) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।
- (ङ) प्रखंड कृषि पदाधिकारी अधिकतम 04 (चार) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर या तो कारण सहित अस्वीकृत कर देंगे या फिर अपनी अनुशंसा के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु अग्रसारित कर देंगे। अगर उक्त अवधि के अंदर आवेदन सत्यापित नहीं की जाती है तो यह समझा जाएगा कि आवेदन सही है एवं आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को स्वतः अग्रसारित (Auto forward) हो जाएगा।
- (च) जिला कृषि पदाधिकारी अपने Log-in में प्राप्त आवेदनों की जाँच 07 (सात) दिनों के अंदर कारण सहित अस्वीकृत या स्वीकृत करेंगे तथा संबंधित आवेदक को अनुसूची-03 में गोबर/बायोगैस इकाई के निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत करते हुए ऑन-लाईन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (छ) आवेदन का अस्वीकृत या अनुशंसा के साथ अग्रसारण की सूचना भी SMS के माध्यम से आवेदन के समय दिये गये मोबाईल संख्या पर किसान को दी जायेगी।

## 11. अनुदान भुगतान की प्रक्रिया:—

- (क) स्वीकृति पत्र में किसानों को देय अनुदान भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख किया गया है।
- (ख) लाभार्थी किसान द्वारा गोबर/बायो गैस इकाई का निर्माण स्वीकृति पत्र प्राप्त होने से 60 दिन के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन होने के उपरान्त अनुसूची-04 में खाता संख्या सहित अनुदान दावा कृषि समन्वयक को समर्पित किया जायेगा।
- (ग) अनुसूची-04 में अनुदान दावा प्राप्त होने के 05 (पाँच) दिनों के अंदर कृषि समन्वयक अनुसूची-05 में अनुदान दावे का सत्यापन कर, ऑन-लाईन अपलोड करेंगे।

- (घ) जिला कृषि पदाधिकारी अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुदान भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगे।
- (ङ.) अनुदान दावा स्वीकृति पत्र के निर्गत तिथि से 45 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं निर्गत तिथि से 60 दिनों के अंदर गोबर/बायो गैस उत्पादन करने के पश्चात् करना अनिवार्य होगा। अनुदान दावा का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च-24 के प्रथम सप्ताह तक ही किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् गोबर/बायो गैस इकाई अनुदान दावा राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (च) गोबर/बायोगैस इकाई का अनुदान भुगतान राशि D.B.T. (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभान्वित किसान के खाते में जमा करने का निदेश है, जिसका पूर्णतः अनुपालन किया जाय।
- (छ) किसानों को राजी करने, योजना को प्रचारित करने तथा संयंत्र स्थापना में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए टर्न-की (बायो गैस संयंत्र से निर्धारित मात्रा में गैस निकलने के उपरांत) के आधार पर एन0जी0ओ0 अथवा कम्पनी प्रतिनिधि को अलग से 1500.00 रु0 प्रति संयंत्र (टर्न की राशि) प्रोत्साहन राशि किसान से अनुसूची-8 में संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत राशि का भुगतान डी.बी.टी. द्वारा किया जायेगा।
- (ज) अनुदान हेतु गोबर पर व्यय की गई राशि सम्मिलित नहीं होगी।

## 12. संस्था/कम्पनी के चयन की प्रक्रिया एवं शर्तें—

- (क) संस्था/कम्पनी का निबंधन पत्र, बाईलॉज, कार्य अनुभव का प्रमाण, टर्न ओवर का प्रतिवेदन, किसी भी राज्य में काली सूची में दर्ज नहीं है, इस आशय का शपथ-पत्र एवं प्रशिक्षित टेक्नीशियन की सूची आदि के आधार पर दैनिक समाचार पत्रों में अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराकर उनके आवेदन पत्र एवं सम्बद्ध कागजात प्राप्त कर कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा संस्था/कम्पनी की सूची तैयार कर राज्य स्तर पर उन्हें सूचीबद्ध किया जायेगा।
- (ख) सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी में से किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी संस्था/कम्पनी का चुनाव कर सकेंगे।
- (ग) कार्य कराने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित संस्था/कम्पनी के पास संयंत्र स्थापना हेतु प्रशिक्षित टेक्नीशियन उपलब्ध है।
- (घ) आवेदन स्वीकृत करने के पश्चात् संस्था/कम्पनी द्वारा आपूरित संयंत्र की गुणवत्ता का सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) द्वारा किया जायेगा।

## 13. संस्था/कम्पनी का दायित्व—

- (क) किसानों को गोबर/बायोगैस इकाई संयंत्र स्थापना की स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर संयंत्र स्थापना का कार्य पूर्ण कर गैस उत्पादन प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) गोबर/बायोगैस इकाई का पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (ग) संयंत्र स्थापित करने के पश्चात् तीन साल तक गैस उत्पादन होता रहे, इसके लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

#### 14. कृषि समन्वयक का दायित्व—

- (क) इस कार्यक्रम का प्रचार—प्रसार अपने क्षेत्रों में किसान सलाहकार के सहयोग से करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुसूची-02 में गोबर/बायो गैस इकाई के लिए आवेदक का स्थल जाँच करना।
- (ख) ऑन—लाईन प्राप्त आवेदन को 10 दिनों के अंदर जाँच कर स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
- (ग) गोबर/बायो गैस इकाई निर्माण स्थल का किसान के साथ Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड करना एवं अनुदान दावे का सत्यापन अनुसूची-05 (ऑन—लाईन अपलोड) में करते हुए किसान के साथ नवनिर्मित गोबर/बायोगैस इकाई का Geo-Tagged फोटोग्राफ अपलोड सुनिश्चित करना।
- (घ) अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित अनुसूची-04 का सत्यापन अनुसूची-05 में 05 (पाँच) दिनों के अंदर करते हुए अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 ऑन—लाईन प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।
- (ङ.) पंचायत स्तर पर लाभार्थी किसानों का सभी आवश्यक कागजात एवं पंजी संधारण करना।
- (छ) ऐसे कोई लाभार्थी किसान जिनके द्वारा अनुदान प्राप्त होने से 05 वर्ष तक गोबर/बायो गैस का उत्पादन नहीं कर रहे हों, की सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

#### 15. प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्व—

- (क) प्रखंड स्तर पर इस कार्यक्रम का प्रचार—प्रसार करना।
- (ख) प्रखंड स्तर पर आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए 4 (चार) दिनों के अंदर आवेदन की जाँच कर स्वीकृत/अस्वीकृत करना।
- (ग) प्रखंड स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करना।
- (घ) अनुदान दावा हेतु समर्पित अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 02 (दो) दिनों के अंदर करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को अग्रसारित करना।
- (ङ.) गोबर/बायोगैस निर्माण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) एवं जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- (च) नवनिर्मित गोबर/बायोगैस इकाई का भौतिक सत्यापन करना।
- (छ) प्रखंड क्षेत्र के अन्तर्गत वैसे किसान, जो अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरांत गोबर/बायोगैस उत्पादन नहीं कर रहे हों (अनुदान राशि के भुगतान से 05 वर्ष तक), से अनुदान राशि की वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। अनुदान राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

#### 16. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का दायित्व—

- (क) अनुमंडल स्तर पर स्वीकृत गोबर/बायोगैस इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करेंगे।
- (ख) अनुमंडल स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।
- (ग) अनुमंडल स्तर पर लाभार्थी किसानों की सूची का संधारण करेंगे।
- (घ) नवनिर्मित गोबर/बायोगैस इकाई का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- (ङ.) भुगतान दावे का भौतिक सत्यापन करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी को भुगतान हेतु अनुशंसा करेंगे।

### 17. सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) का दायित्व—

- (क) जिला स्तर पर स्वीकृत गोबर/बायोगैस इकाई निर्माण का लगातार अनुश्रवण करना।
- (ख) जिला स्तर पर योजनान्तर्गत प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक के कार्यों एवं योजना प्रगति की समीक्षा करना।
- (ग) स्वीकृति पत्र प्राप्त लाभार्थी किसानों को गोबर/बायोगैस संयंत्र की स्थापना में लाभार्थी एवं संस्था/कम्पनी को आवश्यक दिशा-निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) गोबर/बायोगैस संयंत्र निर्माण संस्था/कम्पनी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण किया जा रहा है अथवा नहीं अपने मंतव्य के साथ जिला कृषि पदाधिकारी को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ङ) गोबर/बायोगैस संयंत्र इकाई का निर्माण के उपरांत अनुदान भुगतान के पूर्व संस्था/कम्पनी द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादन एवं गोबर/बायोगैस का उत्पादन होने के उपरांत अनुदान भुगतान करने की अनुशंसा करेंगे।

### 18. जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्व—

- (क) किसानों से प्राप्त गोबर/बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु आवेदन को जाँचोपरांत स्वीकृति पत्र निर्गत करेंगे।
- (ख) गोबर/बायोगैस इकाई की स्वीकृति के पश्चात् सभी लाभान्वित किसानों को गोबर/बायोगैस उत्पादन का प्रशिक्षण परियोजना निदेशक (आत्मा) के सहयोग से कलस्टर में देना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) अनुदान प्राप्त गोबर/बायोगैस इकाई का निर्माण एवं उत्पादन से संबंधित जिला स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) के साथ समीक्षा करेंगे।
- (घ) अनुसूची-04 एवं अनुसूची-05 प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करना पूर्ण करेंगे।
- (ङ) नवनिर्मित गोबर/बायोगैस इकाई का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- (च) गोबर/बायोगैस इकाई का अनुदान भुगतान लाभार्थी के बैंक खाता में ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नकद अथवा चेक से हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा।
- (छ) योजना के सफल कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ज) प्रत्येक माह के 05 वीं तिथि तक योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से कृषि निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (रसायन) कम्पोस्ट एवं बायोगैस को उपलब्ध कराना।
- (झ) जिला कृषि पदाधिकारी, गोबर/बायो गैस संयंत्र के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रति जिला कम-से-कम 02(दो) अधिकतम 05(पाँच) ईच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने हेतु सूची तैयार कर निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

### 19. प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्व—

- (क) अपने प्रमंडल अंतर्गत इस कार्यक्रम/योजना की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे।
- (ख) कठिनाईयों को अपने स्तर से निराकरण कराना तथा कृषि निदेशक, बिहार, पटना को इससे अवगत करेंगे।
- (ग) मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

### 20. निदेशक, बामेती का दायित्व—

गोबर/बायोगैस संयंत्र के रख-रखाव हेतु ईच्छुक व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने के उपरांत प्रशिक्षण का व्यवस्था करना।

21. कृषि निदेशक का दायित्व—

इस कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा प्रगति से विभाग को अवगत कराना।

कृषि निदेशक,  
बिहार, पटना।

## गोबर/बायो गैस आवेदन का जाँच-पत्र

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....
4. किसान अपने गांव में रहते हैं (हाँ/नहीं)—
5. गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु जमीन की उपलब्धता (निजी/लीज)—
6. जमीन की चौहद्दी—  
उत्तर..... दक्षिण .....  
पूरब..... पश्चिम.....
7. पशुधन की उपलब्धता (संख्या में)—.....
8. गोबर की उपलब्धता—
9. पूर्व में योजना का लाभ लिया गया है अथवा नहीं—
10. स्पष्ट मंतव्य—

तिथि—.....

.....

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर

नाम—

पदनाम—

## गोबर/बायो गैस के अनुदान दावा हेतु किसान द्वारा समर्पित किया जाने वाला आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. किसान का नाम—
2. पिता/पति का नाम—
3. ग्राम.....प्रखण्ड.....जिला.....
4. बैंक खाता सं.....बैंक का नाम.....
5. जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र सं० ..... दिनांक .....
6. गोबर/बायो गैस का प्रकार— दीनबंधु मॉडल
7. गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान का नाम एवं पता—  
(जिससे संस्थापन कराया गया है).
8. गोबर/बायो गैस का आयतन—02 घनमीटर
9. मेरे द्वारा अनुदान दावे के प्रमाण स्वरूप गोबर/बायो गैस संयंत्र का फोटोग्राफ कृषि समन्वयक के साथ समर्पित किया गया है
10. मुझे.....बैंक.....शाखा के मेरे खाता संख्या—.....  
.....जिसका IFSC Code..... है, मैं अनुदान राशि का भुगतान किया जाय।

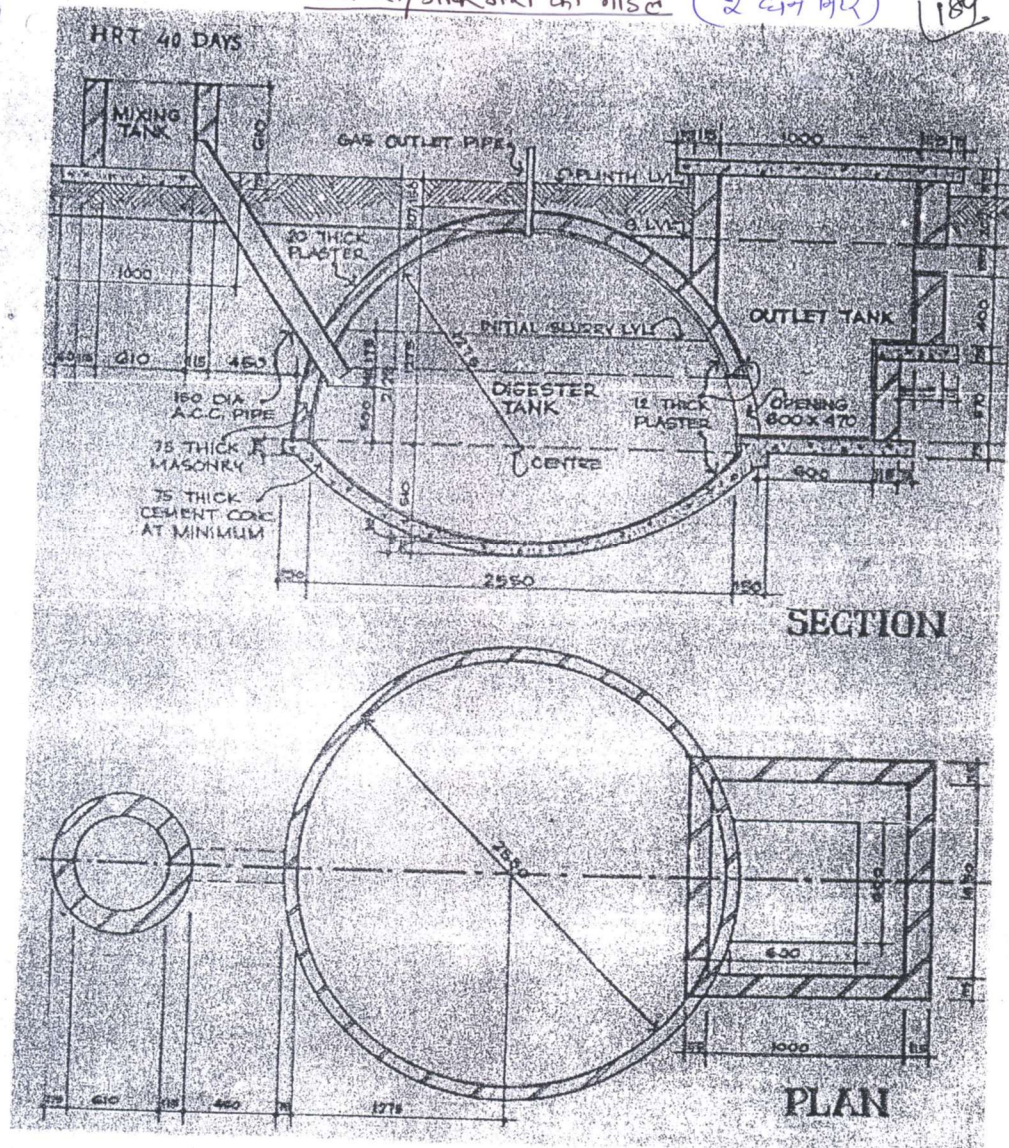
### घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने गोबर/बायो गैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है। मेरा गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस भी निकल रहा है तथा इससे मैं संतुष्ट हूँ। उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का नाम/हस्ताक्षर/तिथि

(अनुदान दावे में किसान अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

Figure - 6 अड्डरी - 6  
 बायोर्जैस/गोबर जैस का मॉडल (२ दन घेद) 1184



31/03/18

(8)

## Model Estimate for Construction of 2 m<sup>3</sup> Bio-gas Plant

|                                                                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pit digging – 1.25 m x 3.0 m<br>$\pi \times \left(\frac{1.25}{2}\right)^2 \times 3.0 = 3.68\text{m}^3$ @ 130.80/m <sup>3</sup> | Rs. 481.34                    |
| 2. Cost of Bricks (2800 Nos) @ 6012.0/0/00                                                                                        | Rs. 16833.60                  |
| 3. Cost of Cement (22 bags) @ 310/bag                                                                                             | Rs. 6820.00                   |
| 4. Sand (9 m <sup>3</sup> ) @ 145.20/m <sup>3</sup>                                                                               | Rs. 1306.80                   |
| 5. Total No. of labour required, 13 No. @ 242.0/No.                                                                               | Rs. 3146.00                   |
| 6. Total No. of mansion required, 4 No. @ 295.0/No.                                                                               | Rs. 1180.00                   |
| 7. Clay or metal pipe (20 cm dia) 10m length @ 174.30/m                                                                           | Rs. 1743.00                   |
| 8. Copper wire screening (25 cm x 25 cm)                                                                                          | Rs. 500.00                    |
| 9. Rubber or Plastic hose                                                                                                         | Rs. 150.00                    |
| 10. Gas outlet pipe (3 cm dia)                                                                                                    | Rs. 600.00                    |
| 11. Pipe (7.5 cm dia) 1.00 m length (gas cap guide)                                                                               | Rs. 500.00                    |
| 12. Pipe (7.0 cm dia) 2.0 m length (Centre guide)                                                                                 | Rs. 800.00                    |
| 13. Mild steel sheet (0.32 mm to 1.63 mm thick)-4.5 m <sup>2</sup><br>Size of gas cap – dia – 1.15 m<br>hight – 1.00 m            | Rs. 2500.00                   |
| 14. Mild steel Rod (for bracing) 25 m length (10 mm)<br>Approx. weight – 1.54 kg or 0.00154 MT<br>@ 46947.50/MT                   | Rs. 70.42                     |
| 15. Water proof coating (paint/tar/asphalt etc) 3.5 l @240.39/l                                                                   | Rs. 841.36                    |
| 16. Cost of tools as welding equipment, shovels, metal saw blades etc                                                             | Rs. 1500.00                   |
| 17. Carriage cost of materials and equipments                                                                                     | Rs. 3000.00                   |
|                                                                                                                                   | Total :- Rs. 41972.11         |
|                                                                                                                                   | Or, say Rs. 42000.00          |
|                                                                                                                                   | (Rs. Forty Two thousand only) |

21/03/2018  
आ. निदेशक (कृ. अ. नि.)  
कृ. अ. नि. सं. नि. (कृ. अ. नि.)  
बिहार, पटना

21/03/18  
नामोन्द सहनी  
प्रशारी-सह-सेवा पदाधिकारी  
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

## गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापना हेतु संतुष्टि प्रमाण पत्र

मैं.....पिता/पति.....ग्राम.....पो0.....थाना....

.....प्रखंड.....जिला.....बिहार का रहने वाला/वाली हूँ। मैं निम्नलिखित बातों का सत्य एवं निष्ठापूर्वक शपथ लेता/लेती हूँ कि—

1. यह कि मुझे गोबर/बायो गैस संयंत्र के दीनबन्धु मॉडल के स्थापना हेतु जिला कृषि पदाधिकारी ..... के द्वारा स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था, जिसका स्वीकृति पत्र संख्या.....एवं दिनांक..... है।
2. यह कि मैंने पूरी राशि लगाकर दो घनमीटर का उपर्युक्त मॉडल का गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित कराया हूँ।
3. यह कि मेरा गोबर/बायो गैस संयंत्र ठीक से कार्य कर रहा है और गैस भी निकल रहा है तथा मैं इससे संतुष्ट हूँ।
4. यह कि दो घनमीटर क्षमता के गोबर/बायो गैस संयंत्र के उपर्युक्त मॉडल के लिए टर्न की कुल राशि 1500 रु0 गोबर/बायो गैस संयंत्र स्थापित करने वाले प्रतिष्ठान मे0..... को भुगतान किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम.....

तिथि.....